FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

देवीसिंह बोरा बनाम धुड़ाराम बोरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं. 94/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिड़माराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/3/18 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
21/03/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। जिनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/03/2018 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

28/03/18 प्रार्थी वकील उपस्थित / विपक्षीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के निशान स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का निशानदेही आवेदन स्वीकार किया जाकर निशानदेही आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का निशानदेही आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की निशानदेही मौके पर मुल्क जमाकार करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद / 2018 / 454

आवेदन संख्या – 94 / 18

दिनांक – 28/3/18

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. श्री देवीसिंह पुत्र जीवराजसिंह वगैरा 3 जाति राजपूत निवासी खंवालीसरा, नौसर तह. बायतु जिला बाडमेर

1. श्री धुड़ाराम पुत्र पन्नाराम वगैरा 19 निवासी खंवालीसरा, नौसर तह. बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा खंवालीसरा पटवार हल्का नौसर के खेत खसरा नम्बर 463 / 35 रकबा 98.11 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(नेताराम चौहान)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक – 28/3/18

क्रमांक / वाद / 2018 / 455 to 459

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री देवीसिंह पुत्र जीवराजसिंह वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री धुड़ाराम पुत्र पन्नाराम वगैरा 19।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु